

निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ - 250110



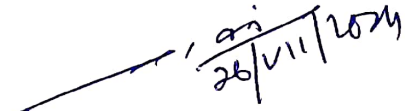
पत्रांक : सवप / 2024 / नि0प्र0अनु0 / 1922

दिनांक : 26-07-2024

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 28.06.2024 एवं पत्र संख्या-20 / 2024 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 11.07.2024 द्वारा 28 मार्च, 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों हेतु सरकारी सेवकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को चुनने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31.10.2024 से पूर्व विकल्प पत्र को पूर्ण कर उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के बिन्दु संख्या 05 में अंकित निर्देशों के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्रेषित किये जाने वाले विकल्प पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे शिक्षक / कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किये जाते रहेंगे। यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

सलंगनक: यथोपरि।


26/7/24

निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपि:

1. समस्त अधिष्ठातागण / निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र / निदेशक प्रसार / विभागाध्यक्ष
2. कुलसचिव
3. वित्त नियंत्रक
4. डा0 दीपक सिसौदिया, प्राध्यापक / प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल को इस आशय के साथ कि उपरोक्त कार्यालय आदेश के साथ संलग्न विकल्प पत्र प्रारूप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ-250110

विकल्प पत्र (दो प्रतियों में)

(सामान्य मद में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों हेतु)

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024
दिनांक 28.06.2024 के अनुपालन में 28 मार्च 2005, के पूर्व विज्ञापित पदों हेतु ओ.पी.एस./एन.पी.एस
(OPS/NPS) को चुनने का विकल्प पत्र।

1. नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. पदनाम एवं कार्यस्थल :-
4. वेतनमान :-
5. स्थायी पता :-
6. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर
भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये जाने वाले विभाग
का नाम एवं विज्ञापन की छायाप्रति (संलग्न करें)
7. विज्ञापन जारी करने की तिथि :-
8. विश्वविद्यालय में नियुक्ति पत्र जारी करने की
तिथि एवं नियुक्ति पत्र की छायाप्रति (संलग्न करें)
9. विश्वविद्यालय में योगदान की तिथि एवं योगदान
की छायाप्रति (संलग्न करें)
10. सेवा निवृत्ति की तिथि :-

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 के अन्तर्गत
पुरानी पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन योजना (.....) में सम्मिलित होने का
विकल्प देता/देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय। यह विकल्प पत्र मैं दिनांक
31.10.2024 से पूर्व प्रस्तुत कर रहा/रहीं हूँ।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनाम :-

दिनांक :-

क्रमांक.....

घोषणा पत्र

मैं.....पदनाम.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य एवं संलग्न प्रपत्र मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनाम :-

दिनांक :-

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्याक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री.....पदनाम.....को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ()/राष्ट्रीय पेंशन योजना () में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालय पत्रांक :-

दिनांक:-

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्याक्ष

प्रतिलिपि:-

1. वित्त नियंत्रक।